रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 24, 2014/आषाढ़ 3, 1936
No. 157] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 24, 2014/ASHADHA 3, 1936

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 23 जून, 2014

विषय : चीन जन गण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सभी प्रकार के प्लास्टिक प्रोसेसिंग या इंजेक्शन मोलडिंग मशीन, जिन्हें इंजेक्शन प्रेसेस के नाम से भी जाना जाता है, तथा जिनकी क्लेमपिंग शक्ति 40 टन से अधिक और 1000 टन से कम हो, के आयातों पर पाटन रोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत।

फा. सं. 15/2/2014–डीजीएडी.–उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 9 मई, 2014 की जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना सं. 15/2/2014–डीजीएडी की ओर ध्यान दिलाया जाता है। इस संबंध में आंशिक संशोधन के रूप में उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 7 और 10 को निम्नानुसार सुधारा गया है:

"7. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 84 के अंतर्गत उप शीर्ष संख्या 8477 1000 के अधीन वर्गीकृत है। तथापि यह सीमा शुल्क वर्गीकरण मात्र सांकेतिक है और जांच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।"

"10. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 अक्तूबर, 2012 से 31 दिसम्बर, 2013 (15 माह) तक की है। तथापि, क्षति वि लेशण में वर्श 2010–11, 2011–12, 2012–13 तथा जांच अवधि भाामिल होंगे।"

जे. के. दादू, निर्दिश्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 23rd June, 2014

Subject: Initiation of Sunset Review of Anti-Dumping duty on imports of all kinds of plastic processing or injection moulding machines, also known as injection presses, having clamping force not less than 40 tonnes and not more than 1000 tonnes originating in or exported from China PR.

No. 15/2/2014-DGAD.—Attention is invited to Initiation Notification No. 15/2/14-DGAD dated 9th May, 2014 on the above subject. In partial modification thereof, the Paragraph 7 and 10 of the said notification is rectified as below:

"7.The product under consideration falls under Chapter 84 of the Customs Tariff Act under subheading no. 8477 1000. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the investigation."

"10. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is from 1st October, 2012 – 31st December, 2013 (15 months). However, injury analysis shall cover the years as 2010-11, 2011-12, 2012-13 and POI."

J. K. DADOO, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.